मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 04-22/2019/1/25 भोपाल, दिनांक 3/10/2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश ।
2. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम, म.प्र. ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत, म.प्र. ।
4. समस्त संभागीय उपायुक्त,
   आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, म.प्र.।
5. समस्त सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त जिला संयोजक,
   आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण, म.प्र.।
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका/नगर परिषद म.प्र.।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत, म.प्र. ।

विषय:-मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018, के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग की जनजातीय कार्य विभाग में सुसंगत पदों पर नियुक्ति उपरांत सेवा शर्तों के संबंध में।

संदर्भ:-म.प्र.राजपत्र (क्र.442) में प्रकाशित जनजातीय कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 8.8.2018 तथा विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 20.8.2018

-----0-----

1. म.प्र. पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 तथा म.प्र. नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के निरसन होने के फलस्वरूप शासन ने मध्यप्रदेश राज्य जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018, लागू किए हैं । पूर्व नियमों के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत अध्यापक संवर्ग को नवीन नियमों के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग में सुसंगत पदों पर नवीन नियुक्ति दी गई हैं ।

2.14 भर्ती नियम, 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षकों के स्थानांतरण आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर प्रभावशील की गई नीति अनुसार किये जा सकेंगे ।

2.15 पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान के प्रयोजन के लिए पूर्व में अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि का लाभ अधिकतम 10 वर्ष तक का निम्नांकित पैरा 3 के अनुसार प्राप्त होगा ।

3. शासकीय सेवकों को सुसंगत भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने पर पदोन्नति की पात्रता होती है। पदोन्नति हेतु पदों की उपलब्धता नहीं होने के कारण शासकीय सेवक को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से क्रमोन्नति/समयमान का प्रावधान है। भर्ती नियम, 2018 के अंतर्गत नवीन नियुक्ति होने से अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्नति/क्रमोन्नति एवं समयमान की पात्रता में गणना में लिये जाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार :-

3.1 भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची 4 में अगले पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित है । इस प्रयोजन के लिये अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि को गणना में लिया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति अध्यापक संवर्ग में वर्ष 2015 में नियुक्त हुआ है तथा दिनांक 01.07.2018 को उसकी नवीन नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के पद पर हुई है, तब प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक की पदोन्नति के लिये अनुभव की गणना के लिए वर्ष 2015 से दिनांक 30.06.2018 तक के अनुभव को जोड़ा जाएगा । तदनुसार उपरोक्त प्रकरण में वह शिक्षक वर्ष 2020 में पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिये पात्र होगा।

3.2 प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान हेतु 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त अनुसार क्रमोन्नति के लिये भी अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को सेवा अवधि की गणना में लिया जाएगा। अध्यापक संवर्ग को संविदा शाला शिक्षक में नियुक्ति दिनांक से योग्यता एवं अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर वरिष्ठता का लाभ क्रमोन्नति के लिए प्राप्त है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति दिनांक 01.04.2008 को संविदा शाला शिक्षक में नियुक्त हुआ है एवं दिनांक 01.04.2011 से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत है, तो अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक की सेवा अवधि को जोड़ते हुए 12 वर्ष अर्थात दिनांक 01.04.2020 को प्रथम क्रमोन्नति तथा 24 वर्ष अर्थात दिनांक 01.04.2032 को द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा। भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2018 को नियुक्त प्राथमिक शिक्षक को सामान्य अवस्था में प्रथम क्रमोन्नति दिनांक 01.07.2018 से 12 वर्ष पूर्ण होने पर अर्थात दिनांक 01.07.2030 को पात्रता होती, परन्तु अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि

P.T.O.

को गणना में लिया जाकर उपरवर्णित उदाहरण में संबंधित शिक्षक दिनांक 01.04.2020 को ही प्रथम क्रमोन्नत के लिए पात्र हो सकेंगे ।

इसी प्रकार यदि किसी संविदा शाला शिक्षक को वर्ष 2013, 2015 एवं 2017 में प्रथम क्रमोन्नति प्राप्त है, तब उन्हें द्वितीय क्रमोन्नति, प्रथम क्रमोन्नति के 12 वर्ष पश्चात अन्य आवश्यक अर्हतायें पूर्ण करने पर वर्ष क्रमशः 2025, 2027 एवं 2029 में पात्रता होगी ।

3.3 शासकीय सेवक को संपूर्ण सेवाकाल में तीन उच्चतर वेतनमान, इस हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने पर प्राप्त हो सकती हैं। अध्यापक संवर्ग में प्राप्त क्रमोन्नति/समयमान/पदोन्नति को उपर्युक्त तीन उच्चतर वेतनमान की पात्रता पर विचार करते समय गणना में लिया जायेगा अर्थात अध्यापक संवर्ग में यदि एक पदोन्नति तथा एक क्रमोन्नति/समयमान के माध्यम से दो उच्चतर वेतनमान प्राप्त हो चुके हैं, तब आवश्यक सेवा अवधि पूर्ण करने पर तीसरे उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिए विचार में लिये जाने की पात्रता होगी।

3.4 पदोन्नति/क्रमोन्नत/समयमान का लाभ प्राप्त करने के लिये भर्ती नियम तथा संगत नियम, निर्देशों में उल्लेखित शर्तों तथा मापदंडों की पूर्ति की जानी आवश्यक होगी।

3.5 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में शासन का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्तानुसार सेवा परिलाभ तथा सेवा शर्तें वित्त विभाग द्वारा यू.ओ.क्रमांक 2028/1760/19/वित्त/नियम/चार दिनांक 05/10/2019 द्वारा जारी सहमति के परिपालन में जारी किये गये है।

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/एफ 04-22/2019/1/25 भोपाल,दिनांक 5 /10/2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग ।
3. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ।